दिनांक———

श्रीमान नरेन्द्र मोदी साहेब
माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार, नई दिल्ली।

तपस्वी प्रधानमंत्री से अपील

महोदय,

विनय पूर्वक निवेदन है कि आप कृपया राष्ट्रवादी संगठन समता आन्दोलन समिति द्वारा पत्र क्रमांक 39450 दिनांक 12.07.2017 के जरिये आपको भेजे गये 14 पृष्ठ के ज्ञापन का अवलोकन करें। कृपया इस ज्ञापन की सभी मांगे पूरी करने की कृपा करें जो यहॉ पुनः अंकित की जा रही हैंः—

..... ''(14) हमारी प्रार्थना हैः— अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि देश के करोड़ों वंचित दलितों को आरक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए, करोड़ों राष्ट्रवादी कर्मठ लोकसेवकों को न्याय दिलवाने के लिए, लोकतंत्र के चारों स्तम्भों अर्थात् न्यायपालिका—विधायिका—कार्यपालिका एवं प्रेस की गरिमा बनाये रखने के लिए, देश को जातिगत संघर्ष से बचाने के लिए तथा देश के टुकड़े होने से बचाने के लिए उपरोक्त 45500 जातिवादी लोकसेवकों व राजनेताओं को अलग—थलग किया जावे तथा—

(i) उपरोक्त पैरा (3) में वर्णित 45500 जातिवादी लोकसेवकों और राजनेताओं के विरूद्ध पैरा (1) से (11) तक में अंकित अपराध कारित करने के लिए जांच करवा कर उनको पदों से बर्खास्त करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराधिक मुकदमें दर्ज करवाये जाये।

(ii) पदोन्नति में आरक्षण की अविधिक, अन्यायपूर्ण एवं असंवैधानिक व्यवस्था को पुनः चालू करने के लिए, भारतीय संविधान को पुनः विरूपित करने के लिए, वंचित दलितों को हमेशा दलित पिछड़ा रखने के लिए, न्यायपालिका को पुनः अपमानित करने के लिए तथा देश के करोड़ों राष्ट्रवादी कर्मठ निरपराध लोकसेवकों के साथ अन्याय करने के लिए कोई अविधिक संविधान संशोधन नहीं किया जावे।

(iii) केन्द्र व राज्य सरकारों के सभी लोकसेवकों की दिनांक 01.04.1997 के पश्चात् से पुनरीक्षित पदोन्नतियां करते हुए उनको योग्यता व वरिष्ठता के अनुसार उचित पदों पर पदस्थापित करके सभी परिलाभ दिये जावे।

(iv) अ.जा./अ.ज.जा. के आरक्षण का लाभ लेकर अविधिक रूप से पदोन्नत हुए लोकसेवकों द्वारा जो राष्ट्रवादी लोकसेवकों के हक का अरबों रूपया वेतन भत्ते के रूप में हड़पा गया है उस राशि को किस्तों में वसूल करके एक राष्ट्रीय कोष बनाया जावे जिससे वंचित दलितों के कल्याण की योजनाऐं चलायी जावें।

(v) पूरे देश में जातिगत अराजकता फैलाने के दुराशय से सक्रिय अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के अविधिक संगठनों पर तत्काल रोक लगायी जावे। इन्हें अबतक दी गयी अविधिक सुविधाओं और सहायता राशि को ब्याज सहित वसूल करके उपरोक्त राष्ट्रीय कोष में जमा कराया जावे तथा उससे वंचित दलितों के कल्याण की योजनायें चलायी जावें।

(vi) उपरोक्त पैरा (1) से (11) तक के घातक परिणामों की जड़ अनुच्छेद 16(4)(ए) को संविधान संशोधन के जरिये विलोपित किया जावे।''

उपरोक्त मांगे पूरी करना भारत के विकास में, वंचित दलितों के उत्थान में तथा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिक के सम्मान में मील का पत्थर साबित होंगी।

सकारात्मक कार्यवाही के अपेक्षा में अग्रिम धन्यवाद। सादर,

भवदीय
ह0
(नाम व पता)